



## बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 15.06.2015 के पूर्वाह्न 10.30 बजे माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्र (से0नि0), अध्यक्ष, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, की अध्यक्षता में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य -सह- सचिव, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के साथ औपचारिक बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

- (1) समिति में एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को मनोनीत किया जाना है। पटना के एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से बात कर उनकी सहमति एवं मानदेय के बारे में सूचना प्राप्त कर ली जाए।
- (2) सभी निजी चिकित्सा/दन्त महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 के लिए प्रस्तावित शिक्षण शुल्क, बुक ऑफ एकाउन्ट एवं इससे संबंधित वांछित अभिलेख/कागजात दिनांक 27.06.2017 तक समर्पित करने के लिए लिखा जाए।
- (3) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य -सह- सचिव, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति की ओर से MCI को एक प्रतिनिधि नामित करने हेतु अनुरोध किया जाए।
- (4) शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री एवं कार्यालय के रख रखाव एवं सारी व्यवस्था कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति करेंगे जिसकी प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी।

  
आर0 के0 महाजन 15/6/17  
प्रधान सचिव -सह- सचिव,  
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

  
माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चन्द्र (से0 नि0)  
अध्यक्ष,  
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,